संख्या-32/2026/152 के-2/22-3-2025-17(292)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 27 जनवरी, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राकेश कुमार प्रजापति पुत्र श्री गोल्ला प्रजापति, निवासी जनपद-बांदा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-3591/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-21.01.2025) दिनांक-28.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राकेश कुमार प्रजापति पुत्र श्री गोल्ला प्रजापति, जो कुम्हेड़ा सानी, थाना-कमासिन, जनपद-बांदा का निवासी है। दिनांक 17-08-2009 को बन्दी ने कु0 माया के साथ जबरदस्ती बुरा काम किया तथा मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-237/2009 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 376/511, 506, 452 में मा0 अपर न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, बांदा के आदेश दिनांक 03.10.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी द्वारा दिनांक 19.12.2024 तक 15 वर्ष, 03 माह, 29 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष, 09 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बंदी की आयु 35 वर्ष, 02 माह, 28 दिन है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध पूरे समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में सक्षम प्रतीत होने, रिहा होने पर पुन: अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 17-08-2009 को बन्दी ने कु0 माया के साथ जबरदस्ती बुरा काम किया तथा मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राकेश कुमार प्रजापति पुत्र श्री गोल्ला प्रजापति को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राकेश कुमार प्रजापति (बंदी संख्या-1473/2014) पुत्र श्री गोल्ला प्रजापति, निवासी जनपद-बांदा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-32/2026/152 के-2/22-3-2025-17(292)/2025

दिनांक 27 जनवरी, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राकेश कुमार प्रजापति पुत्र श्री गोल्ला प्रजापति, जो कुम्हेड़ा सानी, थाना-कमासिन, जनपद-बांदा का निवासी है। दिनांक 17-08-2009 को बन्दी ने कु0 माया के साथ जबरदस्ती बुरा काम किया तथा मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-237/2009 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 376/511, 506, 452 में मा0 अपर न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, बांदा के आदेश दिनांक 03.10.2013 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी द्वारा दिनांक 19.12.2024 तक 15 वर्ष, 03 माह, 29 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष, 09 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बंदी की आयु 35 वर्ष, 02 माह, 28 दिन है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध पूरे समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में सक्षम प्रतीत होने, रिहा होने पर पुनः अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 17-08-2009 को बन्दी ने कु0 माया के साथ जबरदस्ती बुरा काम किया तथा मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राकेश कुमार प्रजापति पुत्र श्री गोल्ला प्रजापति को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in